आवेदन पत्र पत्र संख्या 140/2020
ओमनारायण आदि बनाम जगुराम आदि
निर्णय दिनांक :— 01—12—2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी — सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर— 362/2022 GCMS No. 2022/578

1. ओमनारायण पुत्र बिहारी लाल जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. परमेश्वरी पत्नी ओमनारायण जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदकगण

<u>ब—ना—म</u>

1. जगुराम पुत्र धन्शीराम जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. गुडी पत्नी रघुवीर जाति मेघवाल निवासी गढी तहसील नरवाना जिला जिन्द हरि0
3. उर्मिला पत्नी मेउराम जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
4. जसवीर सिंह
5. पवन कुमार
6. मनोज कुमार पुत्रान मेउराम जाति मेघवाल निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
7. कमला पुत्री नारायणराम पत्नी बसन्त कुमार जाति कुम्हार निवासी बुहाना तहसील बुहाना हाल आबाद खेतड़ी रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं, राज0
8. किशन पुत्र नारायणराम पत्नी किरोड़ीमल जाति कुम्हार निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 हाल आबाद दुलोठ अहीर तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
9. किशोरी लाल
10. ग्यारसीलाल पुत्रान नारायणराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 2 नाराणा कुम्हार की ढाणी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
11. गिरया उर्फ मीरा पुत्री नारायणराम पत्नी जगदीश जाति कुम्हार निवासी बुहाना हाल आबाद महरमपुर जिला झुन्झुनूं, राज0
12. नर्बदा पुत्री नारायणराम पत्नी बनवारी जाति कुम्हार निवासी बेरला तहसील सुरजगढ़, जिला झुन्झुनूं, राज0
13. भगवानी पुत्री नारायणराम पत्नी बिजेन्द्र जाति कुम्हार निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद दुलोठ अहीर तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरि0
14. भागा पुत्री नारायणराम पत्नी [illegible] प्रसाद जाति कुम्हार निवासी बुहाना हाल आबाद बेरला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज0
15. मुकेश कुमार पुत्र हरदयाल सिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 2 नाराणा कुम्हार की ढाणी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

16. विमला देवी पत्नी बाबु सिंह जाति राजपूत निवासी पाठला तहसील व जिला रेवाड़ी हरि0
17. शान्ति देवी पत्नी हरदयाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 2 नाराणा कुम्हार ही ढाणी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
18. विनोद
19. धर्मेन्द्र पुत्रान हरयाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 2 नाराणा कुम्हार ही ढाणी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
20. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
21. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अनावेदकगण

अधिकारी ★ ...ला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री मुकेश चौधरी – आवेदकगण की ओर से
2. श्री विजयपाल – अनावेदक सं. 16 की ओर से
3. श्री विकास – अनावेदक सं. 9, 12 व 13 की ओर से

:: निर्णय :: **दिनांक 01 –12–2022**

यह आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता सं. 106 के हाल ख. नं. 526 रकबा 1.65 है. के खातेदार काश्तकार आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 से 6 के नाम से दर्ज है आवेदकगण की भूमि ख.नं. 526 के पूर्व में 523 रकबा 3.41 है. भूमि है जिसके खातेदार काश्तकार अनावेदक सं. 8 लगा. 19 है तथा अनावेदक सं. 8 से 19 के पूर्व में उत्तर से दक्षिण एक कटानी रास्ता ख.नं. 558 आम सड़क है जो बुहाना से कलवा को जाती है। आवेदक की भूमि ख.नं. 526 के लिए पहुंचने के लिए कोई कटानी रास्ता मौजूद नहीं है आवेदक की भूमि को काश्त करने के लिए तथा आवागमन के लिए रास्ता नहीं है। आवेदक की भूमि ख.नं. 526 के पूर्व में अनावेदक सं. 8 लगा. 19 की भूमि ख.नं. 523 है जिसमें अनावेदक सं. 15 व 10 ने अपनी भूमि ... तरफ ख.नं. 525 व 526 के मेड की तरफ मकानात बना रखे है तथा अपने ... आवागमन हेतु उक्त रास्ताख.नं. 558 से अपने मकानों तक रास्ता आवागमन के ... छोड़ रखा है तथा उक्त मकान के पश्चात में ही आवेदक की खातेदारी भूमि ... में आई हुई है जिसमें कुआ बनाकर विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा अपनी भूमि ... काश्त करता है चूंकि वर्षात होने पर या अन्य खातेदार जो ख.नं. 523 में है पहले भूमि काश्त करने पर आवेदक अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदन पत्र पत्र संख्या 140/2020
ओमनारायण आदि बनाम जगुराम आदि
निर्णय दिनांक :– 01–12–2022

भूमि को काश्त नहीं कर पाता है इसलिए आवेदक को अपनी भूमि ख.नं. 526 के लिए रास्ते की आवश्यकता है। अनावेदक सं. 10, 15 ने अपनी भूमि ख.नं. 523 में मकान बना रखे है तथा अपने मकानों तक रास्ता भी छोड़ रखा है उसके पश्चिम में ही आवेदक की भूमि ख.नं. 526 स्थित है जहां से रास्ता दिया जाना सबसे नजदीक है जिसको नजरी नक्शे में लाल सुर्ख रंग से दर्ज कर मार्क ए से बी दर्शित किया गया है जो आवेदन पत्र का भाग रहेगा। इसके अलावा व इसके नजदीक अन्य कोई रास्ता आवेदक की भूमि के लिए नहीं है। आवेदक नियमानुसार रास्ते के लिए डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि अदा करने हेतु सदैव तत्पर व तैयार है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक की भूमि ख.नं. 526 तक पहुंचने के लिए अनावेदक सं. 8 लगा. 19 की भूमि ख.नं. 523 में से पूर्व में स्थित सड़क ख.नं. 558 तक 12 फुट चौड़ा रास्ता जिसको नजरी नक्शे में लाल सुर्ख रंग से व मार्क ए से बी दर्ज किया है कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर कायम करते हुए खुलवाया जावे।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदक सं. 9, 12, 13 ने इकबाली जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदक को ख.नं. 523 में से रास्ता दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अनावेदक सं. 16 ने जवाब आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है कि ख.नं. 523 रकबा 3.41 है. में से अनावेदक सं. 16 के हिस्से में 0.31 है. भूमि ही आती है यदि उक्त भूमि में से रास्ते के बदले आवेदक राशि का भुगतान करते है तो अनावेदिका को भारी नुकसान होगा तथा अनावेदिका सं. 16 की अधिकांश भूमि रास्ते में चली जायेगी जबकि आवेदिका सं. 16 रास्ता देने को तैयार है परन्तु ख.नं. 523 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे रास्ता देकर रास्ते की भूमि के बदले भूमि ही आवेदकगण से लेना चाहती है इसलिए रास्ते की भूमि के बदले में भूमि ही दिलाई जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

तहसीलदार, बुहाना से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बुहाना ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/2919 दिनांक 27.10.2022 से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बुहाना की मूल बिन्दुवार रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जिसके अनुसार आवेदक को खसरा नंबर 526 में पहुंचने हेतु ख.नं. 523 की दक्षिणी मेड के सहारे 82 मीटर की लम्बाई में चार मीटर चौड़ा रास्ता जिसका कुल क्षेत्रफल 328 वर्गमीटर बनता है प्रस्तावित है जो सबसे कम दूरी व क्षेत्रफल का है जिसके लिसे अनावेदकगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई। अतः नजरी नक्शानुसार लाल स्याही से दर्शित प्रस्तावित रास्ता उचित है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बुहा[illegible]क अवलोकन एवं मनन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बुहाना ने अ[illegible] रि[illegible] के संलग्न नजरी नक्शा में स्पष्ट किया है कि आवेदकगण को प्रस्तावित रास्ते की आ[illegible]कता अत्यातिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई [illegible] का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। आवेदकगण को खसरा नंबर 5[illegible] में पहुंचने हेतु नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 328 वर्गमीटर बनता है। आवेदकगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 526 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:53:01 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार आवेदकगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। चूंकि पक्षकारान रास्ते में आने वाली भूमि के बदले जमीन के बदले जमीन दिये जाने पर सहमत है इसलिए उक्त प्रकरण में प्रतिकार की रकम निर्धारित नही किये जा रही है। तहसीलदार बुहाना को आदेश दिये जाते है कि रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि में से कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 523 के रकबे में से रास्ते की बाबत 328 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे। रास्ते में आने वाली भूमि तथा रास्तें के बदले दिये जाने वाली भूमि रहन मुक्त रहेगी।

अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षण वृत बुहाना के संलग्न नजरी नक्शा के आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम [redacted] तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 526 में जाने के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बुहाना की रिपोर्ट के बिन्दु सं. 3 में अंकित नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) खसरा नम्बर 523 में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान रास्ते में आने वाली भूमि के बदले जमीन के बदले जमीन दिये जाने पर सहमत है इसलिए उक्त प्रकरण में प्रतिकार की रकम निर्धारित नही किये जा रही है। तहसीलदार बुहाना को आदेश दिये जाते है कि रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि में से कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 523 के रकबे में से रास्ते की बाबत 328 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे। रास्ते में आने वाली भूमि तथा रास्तें के बदले दिये जाने वाली भूमि रहन मुक्त रहेगी।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक **01–12–2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested